भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2641
04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत पीएम-जेऐवाई

2641. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि कैंसर रोगियों के लिए बाह्य रोगी विभाग में उपचार करना अस्पताल में भर्ती रोगी के रूप में उपचार कराने की तुलना में अधिक मुश्किल होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए इस अस्वीकार्य व्यय पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार कैंसर रोगियों को उनके अपनी जेब से होने वाले खर्चों को कम करने में मदद करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई किस सीमा तक कैंसर रोगियों की सहायता कर रही है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उनकी संसाधन सीमा के अध्यधीन राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. अवसंरचना सुदृढ़ीकरण
ii. मानव संसाधन विकास
iii. स्वास्थ्य संवर्धन
iv. आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र के तहत 30 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग की जांच
v. शीघ्र पहचान और प्रबंधन
vi. उचित स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों को रेफरल

एनपी-एनसीडी के अंतर्गत, पहले से ही उपचाराधीन रोगियों के निरंतर कीमो उपचार हेतु 326 जिला डे केयर केंद्रों की स्थापना की गयी है।

केन्द्र सरकार विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्र सुविधा योजना के सुदृढ़ीकरण को कार्यान्वित करती है। उक्त योजना के अंतर्गत, 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 विशिष्ट कैंसर परिचर्या केन्द्र (टीसीसी) अनुमोदित किए गए हैं। अब तक 17 सुविधा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान,झज्जर (हरियाणा) और चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकता का दूसरा परिसर भी स्थापित किया गया है। सभी मौजूदा और नए एम्स तथा कई उन्नत संस्थान भी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत कैंसर के इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

गरीब और जरूरतमंद के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज या तो मुफ्त है या अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है। **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)** के तहत, 60 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट परिचर्या भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। एबी पीएम-जेएवाई कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों आदि सहित 27 विभिन्न विशिष्टताओं के तहत कुल 1,949 प्रक्रियाओं के अनुरूप उपचार प्रदान करता है, जिनमें से कैंसर से संबंधित 549 प्रक्रियाएं एबी पीएम-जेएवाई के तहत शामिल हैं। एबी पीएम-जेएवाई के तहत उपचार पैकेज बहुत व्यापक हैं जिसमें इस योजना के तहत निदान, प्रीमेडिकेशन, प्री-एनेस्थेटिक जांच और वर्तमान बीमारी से संबंधित 3 दिनों तक परामर्श सहित अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्च के अलावा और पैकेज राशि में अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक दवा का खर्च भी शामिल हैं।

एबी पीएम-जेएवाई के तहत कैंसर का उपचार लाभार्थियों को कैंसर उपचार के भयावह खर्च से बचाने के लिए प्रमुख फोकस वाले क्षेत्रों में से एक रहा है। विभिन्न प्रकार के कैंसर और संबंधित बीमारियों के लिए एक व्यापक उपचार कवर सुनिश्चित करने के लिए, एनएचए ने नेशनल कैंसर ग्रिड (एनसीजी) और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (टीएमएच) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 30 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कैंसर से संबंधित उपचार के लिए आयुष्मान भारत पीएम-जेवाई के तहत 5,800 करोड़ रुपये के लगभग 31.13 लाख अस्पताल भर्तियां अधिकृत की गयी हैं। यह सीधे तौर पर जेबी खर्च में बचत है। यदि इन सेवाओं का लाभ बाजार से लिया गया होता, तो लागत कम से कम 1.5-2 गुना अधिक होती क्योंकि पीएम-जेएवाई के तहत पैकेज दरों में आर्थिक दृष्टि से लाभ होता है। इसलिए, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के परिणामस्वरूप लक्षित लाभार्थियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित जेबी खर्च में भारी बचत हुई है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य कैंसर की औषधियों को अधिकतम खुदरा मूल्य की तुलना में पर्याप्त छूट पर उपलब्ध कराना है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एचएमडीजी) की प्रमुख योजना के तहत कैंसर सहित प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गरीब रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपचार लागत के एक हिस्से को चुकाने के लिए एचएमडीजी के तहत अधिकतम 1,25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और आरएएन की अम्ब्रेला योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता 15 लाख रु. है।

*****